

म.प्र. जन अभियान परिषद्

नवांकुर योजना (2026-27)

नवांकुर योजनांतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन हेतु आवेदन

1. योजना का विवरण

1.1. अवधारणा :-

परिषद् का मूल उद्देश्य समाज एवं शासन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना है। विकास के कार्यों में समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विषयों जैसे जल संरक्षण, सबको शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों की शिक्षा, नशामुक्ति, सबको स्वास्थ्य, हरियाली/पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ सफाई, ऊर्जा संरक्षण, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन, समाजिक समरसता तथा विवाद रहित समाज/ग्राम आदि पर विशेषज्ञता रखने वाले दक्ष स्वैच्छिक संगठन को विकासखण्ड के प्रत्येक सेक्टर स्तर पर विकसित एवं सक्रिय किया जाना आवश्यक है। इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सेक्टर में जन अभियान परिषद् के उद्देश्य के अनुरूप गठित प्रस्फुटन समितियों को उनके कार्यों में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा तथा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्रों को इंटरनेशिप एवं पाठ्यक्रम संबंधी परामर्श में सहयोग प्रदान किया जावेगा।

1.2. लक्ष्य :-

सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप राज्य के विकास के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में स्वयंसेवी संस्थाओं को पोषित कर उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रस्फुटन समितियों एवं नवीन स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रियकरण/उन्मुखीकरण करना।

1.3. उद्देश्य :-

- 1.3.1 समाज की स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर स्वैच्छिक संस्थाओं का निर्माण करना।
- 1.3.2 स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के आधार पर विकास प्रक्रिया में नागरिक समुदाय एवं सक्रिय लोगों को सम्मिलित करते हुए समितियों का गठन करना।
- 1.3.3 स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के आधार पर विषय-विशेषज्ञ एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ता तैयार करना।
- 1.3.4 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कृति आधारित परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
- 1.3.5 गठित समितियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करना।
- 1.3.6 सामाजिक सुरक्षा एवं समरसता सुनिश्चित करना।
- 1.3.7 केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व उनके क्रियान्वयन में सहयोग, नवीन व स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं का पोषण व क्षमता वर्धन करना।

1.4. योजना का स्वरूप :-

- 1.4.1 योजनांतर्गत समाज में स्वैच्छिकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने, स्वैच्छिक संस्थाओं के उन्मुखीकरण एवं पोषण हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में 05 सेक्टर होंगे तथा प्रत्येक सेक्टर में एक नवांकुर संस्था कार्य करेगी। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में कुल 1565 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कार्य किया जायेगा।
- 1.4.2 नवांकुर संस्थायें उस विकासखण्ड के सेक्टर हेतु लीड स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करेंगी।
- 1.4.3 कार्यकाल अवधि तीन वर्ष पश्चात पुनः संस्थाओं के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- 1.4.4 योजना अंतर्गत चयन समिति एवं प्रबंध समिति का प्रावधान होगा।

1.5. चयन प्रक्रिया :-

- 1.5.1 योजनांतर्गत संस्थाओं के चयन हेतु परिषद् की वेबसाइट एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
- 1.5.2 नवांकुर योजनांतर्गत चयन हेतु इच्छुक संस्थाएं ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन कर सकेंगी। प्राप्त आवेदनों में से अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
- 1.5.3 जिला स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नुसार होगा -
 1. अध्यक्ष - संभाग समन्वयक (म.प्र. जन अभियान परिषद्)
 2. कलेक्टर द्वारा नामांकित शासकीय विभाग के जिला स्तर के अधिकारी - सदस्य (01)
 3. मान. उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित सामाजिक प्रतिष्ठित नागरिक - सदस्य (02)
 4. जिला समन्वयक, म.प्र. जन अभियान परिषद् - सदस्य सचिव
 5. संभाग समन्वयक द्वारा नामांकित विकासखण्ड समन्वयक - सदस्य (01)

2. नवांकुर योजना (वित्तीय वर्ष 2026-27) हेतु वांछित स्थानों की जानकारी -

नवांकुर योजना (वित्तीय वर्ष 2026-27) हेतु संस्थाओं के चयन हेतु जिले एवं विकासखण्डवार संख्या				
क्र.	जिला	विकासखण्ड के नाम	संस्थाओं के चयन हेतु विकासखण्डवार संख्या	जिलेवार कुल संख्या
1	बालाघाट	परसवाड़ा	3	8
2		लालबर्गी	1	
3		बिरसा	1	
4		किरनापुर	1	
5		कटंगी	1	
6		वारासिवनी	1	
7	छिन्दवाडा	जुन्नारदेव	2	17
8		परासिया	1	
9		तामिया	2	
10		पाण्डुना	4	
11		सौसर	1	
12		चौरई	3	
13		मोहखेड	1	
14		अमरवाड़ा	3	
15	डिण्डौरी	शहपुरा	2	7
16		बजाग	1	
17		अमरपुर	2	
18		मेंहदवानी	2	
19	जबलपुर	कुंडम	2	2
20	कटनी	विजयराघवगढ	1	2
21		रिठी	1	
22	मण्डला	नारायणगंज	2	6
23		घुघरी	3	
24		मोहगांव	1	
25	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	2	14
26		गोटेगांव	3	
27		चिचली	1	
28		साईंखेडा	5	
29		चावरपाठा	3	

क्र.	जिला	विकासखण्ड के नाम	संस्थाओं के चयन हेतु विकासखण्डवार संख्या	जिलेवार कुल संख्या
30	सिवनी	कुरई	1	2
31		लखनादौन	1	
32	खरगोन	कसरावद	1	4
33		भीकनगांव	1	
34		महेश्वर	2	
35	धार	उमरबन	2	3
36		बाग	1	
37	अलीराजपुर	कठ्ठीवाड़ा	1	2
38		भाभरा	1	
39	बड़वानी	बड़वानी	1	2
40		पानसेमल	1	
41	खण्डवा	हरसूद	2	3
42		छैगांवमाखन	1	
43	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1	1
44	उज्जैन	तराना	1	4
45		घटिया	1	
46		बडनगर	1	
47		महिदपुर	1	
48	देवास	देवास	2	2
49	रतलाम	जावरा	1	3
50		रतलाम	1	
51		पिपलौदा	1	
52	मंदसौर	मंदसौर	2	5
53		भानपुरा	2	
54		गरौठ	1	
55	नीमच	जावद	2	2
56	रायसेन	बेगमगंज	1	2
57		सिलवानी	1	

क्र.	जिला	विकासखण्ड के नाम	संस्थाओं के चयन हेतु विकासखण्डवार संख्या	जिलेवार कुल संख्या
58	राजगढ़	सारंगपुर	1	1
59	सीहोर	बुधनी	3	3
60	विदिशा	लटेरी	1	1
61	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	1	4
62		पटटन	2	
63		चिचोली	1	
64	ग्वालियर	भितररवार	3	4
65		घाटीगांव	1	
66	अशोकनगर	ईसागढ़	2	2
67	गुना	बम्होरी	4	7
68		गुना	1	
69		चाचौड़ा	1	
70		विजयराघोगढ़	1	
71	शिवपुरी	करेरा	1	2
72		पिछोर	1	
73	सीधी	कुसमी	5	19
74		मंझौली	5	
75		रामपुरनैकिन	1	
76		सीधी	4	
77		सिंहावल	4	
78	रीवा	गंगेव	3	8
79		सिरमौर	1	
80		मउगंज	4	
81	सतना	रामपुर बघेलान	2	5
82		अमरपाटन	1	
83		नागौद	1	
84		उचेहरा	1	

क्र.	जिला	विकासखण्ड के नाम	संस्थाओं के चयन हेतु विकासखण्डवार संख्या	जिलेवार कुल संख्या
85	उमरिया	करकेली	1	1
86	सागर	केसली	1	1
87	दमोह	बटियांगढ़	3	6
88		हटा	1	
89		पटेरा	1	
90		पथरिया	1	
91	टीकमगढ़/निवाड़ी	पृथ्वीपुर	1	3
92		निवाड़ी	2	
93	पन्ना	अजयगढ़	4	8
94		गुन्नौर	3	
95		पवई	1	
96	छतरपुर	गौरीहार	2	3
97		बड़ामलहारा	1	
98	भिण्ड	रौन	1	4
99		गोहद	1	
100		अटेर	1	
101		मेहगांव	1	
102	मुरैना	अंबाह	1	4
103		कैलारस	3	
104	शयोपुर	कराहल	1	1
कुल संस्थाओं की संख्या				178

3. नवांकुर संस्थाओं के चयन की अर्हतायें -

- 3.1 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 25/8 के अंतर्गत चेरीटेबल उद्देश्य से गठित कंपनियों,
- 3.2 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में पंजीकृत
- 3.3 म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट
- 3.4 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में पंजीकृत
- 3.5 म.प्र. फर्म्स एवं संस्थायें पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थायें जिनमें 50% सदस्य संबंधित विकासखण्ड तथा 50% सदस्य संबंधित जिले के स्थानीय निवासी हों।
- 3.6 नवांकुर संस्थाओं का चयन उसी विकासखण्ड की स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं में से किया जायेगा।
- 3.7 ऐसी प्रस्फुटन समितियाँ जिनका फर्म्स एवं सोसायटी में पंजीयन हो चुका है एवं परिषद् द्वारा संचालित कार्यक्रमों/अभियानों में उनकी निरन्तर भागीदारी रही हो ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
- 3.8 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों तक की धारा 27 व 28 की जानकारी जमा करना अनिवार्य है।
- 3.9 जिन संस्थाओं का पंजीयन एक वर्ष के अंदर हुआ है ऐसी संस्थाओं को धारा 27 व 28 की जानकारी आवश्यक नहीं होगी किन्तु चयन उपरांत एक वर्ष में धारा 27 व 28 की जानकारी जमा करना अनिवार्य होगा।
- 3.10 किसी विकासखण्ड में निर्धारित पात्रता के अनुरूप आवेदन प्राप्त न होने अथवा संस्था पात्र न पाये जाने की स्थिति में जिला चयन समिति की अनुशंसा पर समीपवर्ती किसी अन्य विकासखण्ड की पात्र संस्था का चयन किया जा सकता है।
- 3.11 नवांकुर संस्थायें जिनका चयन होगा वह दो वर्ष तक निरंतर बनी रहेंगी।
- 3.12 संस्थायें जिनका पूर्व में परिषद् की नवांकुर योजना अंतर्गत चयन हो चुका है तथा जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अथवा जिन्हें कार्य करने में असंतोष के कारण निरंतरता नहीं की गई है अथवा ऐसी संस्था जिनका पूर्व में कार्य के प्रति समर्पण एवं निष्ठा की कमी के कारण परिषद् के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं कर पाई है ऐसी संस्थायें चयन के पात्र नहीं होंगी।

4. आवेदन प्रपत्र (वर्ष 2026–27)

जिला एवं विकासखण्ड का नाम लिखे जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है :	
जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम

4.1. सामान्य जानकारी –

4.1.1 संस्था का नाम :

4.1.2 संक्षिप्त नाम (यदि हो तो) :

4.1.3 परिषद् में संस्था/समिति का पंजीयन क्रंदिनांक :

4.1.4 संस्था का किसी अधिनियम/नियम के तहत पंजीयन क्रं/पंजीयन दिनांक :
..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

पंजीकरण अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत पंजीयन कराया गया (यदि हो तो) :

.....

4.1.5 पंजीकृत पता:.....

जिला/राज्य:पिन :.....

फोन नं (एस.टी.डी. कोड सहित) :.....

फेक्स नम्बर : ई-मेल :

वेबसाईट :

4.1.6 यदि संस्था वर्तमान में उक्त पते पर स्थित नहीं है तो वर्तमान

पता :

जिला/राज्य:पिन :.....

फोन नं (एस.टी.डी. कोड सहित) :.....

फेक्स नम्बर : ई-मेल :

वेबसाईट :

4.1.7 संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव का नाम

फोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)/मोबाईल नं. :.....

ई-मेल :

4.1.8 संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता (Chief functionary) का नाम.....

पद

फोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)/मोबाईल नं. :.....

ई-मेल :

4.1.9 संस्था का पूर्व कार्य क्षेत्र (संभाग/जिला/विकासखण्ड) कृपया विवरण दें :

क्र.	राज्य	जिलों के नाम	ग्राम/शहरों की संख्या	विशेषज्ञता क्षेत्र
1.				
2.				
3.				

4.1.10 संस्था का कार्यक्षेत्र (विकासखण्ड/सेक्टर) :- संस्था को उनके मूल पंजीकृत पते अनुसार विकासखण्ड के सेक्टर में ही कार्य कराया जावेगा।

4.1.11 अन्य महत्वपूर्ण पंजीयन/दस्तावेज (यदि हो तो) :

क्र.	अधिनियम/धारा का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	पंजीयन वैधता दिनांक तक
1	इनकम टेक्स अधिनियम धारा 12 A		
2	इनकम टेक्स अधिनियम TAN No.		
3	इनकम टेक्स अधिनियम PAN No.		
4	इनकम टेक्स अधिनियम धारा 80 G.		
5	धारा 27 व 28 की जानकारी		
6	अन्य (विवरण दें.....)		

4.1.12 क्या संस्था द्वारा पंजीकरण अधिनियम के नियमों/विनियमों के अनुसार वांछित जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा की जाती है? हाँ नहीं

4.1.13 क्या संस्था स्वयंसेवी संस्थाओं के किसी नेटवर्क/फेडरेशन से संबंध रखती है ?
हाँ.....नहीं.....

यदि हाँ तो कृपया विवरण दें :

.....

.....

.....

4.2 संस्था की दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य :

4.2.1 क्या संस्था की दृष्टि (Vision), लक्ष्य (Mission), तथा उद्देश्य (Objective), परिभाषित है?

हाँ नहीं

यदि हाँ जो कृपया विवरण दे :

.....

.....

दृष्टि (Vision) :

.....

.....

लक्ष्य (Mission) : उद्देश्य (Objectives) :

.....

.....

.....

4.3. संचालक मण्डल

4.3.1 संस्था की साधारण सभा में कुल सदस्यों की संख्या :

4.3.2 संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण (आवश्यकता होने पर पृथक से पृष्ठ संलग्न करें) :

क्र	नाम	पद	पता (फोन नं. तथा ई-मेल सहित)	आयु	लिंग	वर्ग (सामान्य /अ.पि. व./अनु. जा./अ. ज.जा.)	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	विकासात्मक क्षेत्र में अनुभव (वर्षों में)	अन्य सदस्य के साथ यदि खून का रिश्ता है तो स्पष्ट करें।

4.3.3 कार्यकारिणी समिति की सदस्यता किस तरह प्राप्त की जाती है ?

नामांकन द्वारा : चुनाव द्वारा : दोनों से :

4.3.4 संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें कितने अंतराल में की जाती है ?

.....

4.3.5 संस्था द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठकें कितने अंतराल में की जाती हैं?

.....

.....

.....

.....

4.4. गतिविधियाँ :-

4.4.1 संस्था द्वारा गत वित्तीय वर्ष में संचालित की गई परियोजनाओं/गतिविधियों का विवरण :

क्र	परियोजना का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	नापे जाने योग्य सूचकांक	समय सीमा	वित्तीय पोषण प्रदान करने वाली संस्था / विभाग का नाम	क्रियान्वयन का भौतिक क्षेत्र	हितग्राही	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	परिणाम (सूचकों के विरुद्ध)	परियोजना समाप्त होने की तिथि

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग कर तालिका अनुसार विवरण दें)

4.4.2 संस्था द्वारा किये गये नवाचार/अन्य उल्लेखनीय कार्य का विवरण :

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें)

4.5. मानव संसाधन प्रबंधन एवं नीति -

4.5.1 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :

4.5.2 संस्था के साथ स्वैच्छिक रूप से जुड़े स्वयंसेवकों की संख्या :

4.6. वित्तीय संसाधन एवं जवाबदेही

4.6.1 क्या संस्था का कार्यालय स्वयं/किराये के भवन में संचालित है ? (स्पष्ट करें) :

4.6.2 विगत तीन वित्तीय वर्षों में आय एवं व्यय का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26	
आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय

4.6.3 वित्तीय सहयोग के प्रमुख स्रोतों के नाम :

1.

2.

3.

4.6.4 क्या संस्था द्वारा प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि की जाती है ?

हाँ : नहीं :

4.6.5 क्या संस्था के लेखा का अंकेक्षण नियमानुसार किया जाता है ?

हाँ : नहीं :

4.6.6 लेखा के किन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गत वर्ष कोई गंभीर आपत्ति प्रगट की गई?

हाँ : नहीं :

यदि हाँ तो विवरण दें :

.....

4.7. पारदर्शिता एवं उपलिब्धियाँ

पारदर्शिता :

4.7.1 क्या संस्था द्वारा साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के संबंध में विविध जानकारी (संरचना/सदस्यों का विवरण/सदस्यों को देय राशि की जानकारी) आदि सार्वजनिक तौर पर (प्रतिवेदन/वेबसाईट/अन्य प्रकार से) दी जाती है ?

हाँ : नहीं :

यदि हाँ तो स्पष्ट करें :

.....

4.7.2 क्या संस्था द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन स्टेक होल्डर्स/जुड़े हुये सदस्यों/इच्छुक व्यक्ति को/सार्वजनिक स्तर पर (वेबसाईट) उपलब्ध करवाया जाता है ?

हाँ : नहीं :

यदि हाँ तो स्पष्ट करें :

.....

.....

उपलिब्धियाँ :

4.7.3 क्या संस्था को किसी प्रकार का प्रोत्साहन/प्रशंसा प्रमाण-पत्र/पुरूस्कार प्राप्त हुआ है ? हाँ : ...

..... नहीं :

यदि हाँ तो दिनांक वर्षका उल्लेख करते हुये विवरण दें :

.....

.....

4.7.4 अन्य आवश्यक जानकारी :.....

.....

नोट : आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

4.2 घोषणा पत्र

संस्थानिवास ग्राम.....पोस्ट.....
विकासखण्ड.....जिला..... में कार्यरत हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी संस्था/संगठन एव विभाग द्वारा आज दिनांक तक ब्लेक लिस्ट घोषित नहीं किया गया है। आवेदन पत्र में पूर्व में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी आवेदन में गलत पाये जाने पर या कोई ऐसी जानकारी जो परिषद् से छुपाई गई हो और परिषद् के लिये अवांछित हो तो मेरे विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। योजना के लिये पात्रता नियत की जावेगी। सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

4.3 सहमति पत्र

संस्थानिवास ग्राम.....पोस्ट.....
.....विकासखण्ड.....जिला..... में कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा म.प्र. जन अभियान परिषद् के नवांकुर योजना अंतर्गत दिशा-निर्देशों में उल्लेखित समस्त कार्य एवं समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ करने हेतु सहमति प्रदान करता/करती हूँ। परिषद् द्वारा संस्था को आवंटित कार्य न करने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर चयन निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक